रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED NO. D. (D.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 421] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 10, 1980/भाद्र 19, 1902
No. 421] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 1980/BHADRA 19, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## सिंचाई मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1980

**का० आ० 770 (अ)**:—केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 4 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 4054, तारीख 6 अक्तूबर, 1969 द्वारा, अन्तर्राज्यिक नदी नर्मदा और उसकी नदी घाटी की बाबत जल विवाद का अधिनिर्णय करने के लिए नर्मदा जल विवाद अधिकरण का गठन किया था ;

और उक्त अधिकरण ने उसे निर्दिष्ट विषयों के संबंध में अन्वेषण किया और अपनी एक रिपोर्ट, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन, केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की थी जिसमें वे तथ्य वर्णित हैं जो उसके समक्ष आए थे और उसे निर्दिष्ट विषयों पर उसका विनिश्चय भी दिया गया था ;

और उक्त विनिश्चय पर विचार करके, केन्द्रीय सरकार और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की सरकारों ने, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन, जो उक्त अधिकरण को कतिपय विषय निर्दिष्ट किए थे और इस प्रकार निर्दिष्ट विषयों पर अधिकरण ने, उस उपधारा के अधीन एक और रिपोर्ट अग्रेषित की थी ;

और उक्त अधिकरण के, उसकी उक्त रिपोर्ट में दिए गए स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन द्वारा यथा उपान्तरित विनिश्चय उक्त अधिनियम की धारा 6 की अपेक्षानुसार केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय (सिंचाई विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 792 (अ), तारीख 12 दिसम्बर, 1979 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया था जिस पर वे विनिश्चय अन्तिम हो गए और विवाद के पक्षकारों पर आबद्धकर हो गए ;

और उक्त अधिकरण के विनिश्चय, उसके विनिश्चयों और निदेशों के कार्यान्वयन के लिए एक तंत्र अर्थात् नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को और पुनर्विलोकन समिति की स्थापना करने के लिए उपबन्ध करते हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नर्मदा जल विवाद अधिकरण के विनिश्चय को प्रभावी करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) और पुनर्विलोकन समिति का गठन करते हुए, एक स्कीम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम :—इस स्कीम का संक्षिप्त नाम नर्मदा जल स्कीम है।

**1. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण**

2. प्राधिकरण की प्रास्थिति और गठन :—(1) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा और वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(2) प्राधिकरण में सात उच्च पंक्ति के इंजीनियर सदस्य होंगे, जिनमें से हर एक सिंचाई विभाग, शक्ति विभाग या राज्य विद्युत बोर्ड

का प्रमुख इंजीनियर, मुख्य इंजीनियर या चार मुख्य इंजीनियरों और जिन्हें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की सरकारों द्वारा नियुक्त किया जायेगा और तीन अन्य इंजीनियर होंगे, जो मुख्य इंजीनियर से निम्न पंक्ति के नहीं होंगे और जिन्हें केन्द्रीय सरकार पक्षकार राज्यों से परामर्श करके नियुक्त करेगी। तीन स्वतंत्र सदस्यों में से एक को प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। उसे उन अधिवेशनों में, जहां एक से अधिक राज्यों के हित का प्रभाव डालने वाले विषयों पर विनिश्चय किया जाना हो, विमर्शी मत प्राप्त होगा और वह प्राधिकरण के प्रशासनिक कार्य का भार साधक होगा। यथास्थिति, केन्द्रीय या राज्य सरकार को, ऐसे किसी सदस्य को, जो उसकी राय में सदस्य के रूप में जारी रखे जाने के लिए उपयुक्त नहीं है, प्राधिकरण से हटाने या निलंबित करने की शक्ति होगी।

(3) प्रत्येक स्वतंत्र सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होगा और अधिक से अधिक पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त सदस्य अंशकालिक सदस्य होंगे। नियुक्ति प्राधिकारी ही, यथास्थिति, स्वतंत्र सदस्य या अंशकालिक सदस्य के लिए नियुक्ति के निबंधन और शर्तें अवधारित करेगा।

(4) यदि तीन स्वतंत्र सदस्यों में से किसी का स्थान रिक्त हो जाता है तो केन्द्रीय सरकार ऐसे रिक्त स्थान पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी और स्वतंत्र सदस्यों से भिन्न चार सदस्यों में से कोई स्थान रिक्त हो जाने पर, राज्य सरकार जिसके द्वारा वह सदस्य जिसका पद रिक्त हुआ है, नियुक्त किया गया था, उक्त रिक्त स्थान पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी।

किसी सदस्य की बीमारी या किसी भी कारण अनुपस्थिति की दशा में, केन्द्रीय सरकार या उस राज्य सरकार (यथास्थिति) जिसके द्वारा वह नियुक्त किया गया था, ऐसी बीमारी या अनुपस्थिति की अवधि के लिये किसी भी व्यक्ति को स्थानापन्न सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकेगी और ऐसे स्थानापन्न सदस्य को इस प्रकार स्थानापन्न रूप से कार्य करते हुये, उस सदस्य की जिसके बदले में वह इस प्रकार कृत्यशील है, सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और वह सभी कर्तव्यों का पालन करेगा और क्षतिपूर्ति का हकदार होगा। किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अगला ज्येष्ठ स्वतंत्र सदस्य, न कि स्थानापन्न सदस्य प्राधिकरण के कारबारी अधिवेशनों में अध्यक्ष के रूप में या प्राधिकरण के अध्यक्ष के बीमार होने या अनुपस्थित होने की दशा में अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

3. प्राधिकरण का सचिव :—प्राधिकरण एक सचिव नियोजित करेगा जो इंजीनियर होगा। वह प्राधिकरण का सदस्य नहीं होगा।

4. गणपूर्ति और मतदान :—प्राधिकरण के ऐसे कारबार के सिवाय जिसे प्राधिकरण नेमी रूप में समय-समय पर विहित करे सभी अन्य कारबार के संव्यवहार के लिये गणपूर्ति पांच सदस्यों से होगी और बहुमत की सहमति आवश्यक होगी। प्राधिकरण ऐसे किसी कारबार को, जिसमें किन्हीं दो राज्यों के हितों में विरोध होने की संभावना हो, नेमी के रूप में विहित नहीं करेगा। नेमी कारबार के संव्यवहार के लिये तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी और प्राधिकरण के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अधिवेशन में निर्वाचित अध्यक्ष को विमर्शी मत प्राप्त होगा और मतों के बराबर-बराबर होने की दशा में उसे निर्णायक मत भी प्राप्त होगा।

यथापूर्वोक्त के अधीन रहते हुये सदस्यों को समान शक्तियां प्राप्त होंगी।

5. प्राधिकरण द्वारा कार्य का निपटारा :—(1) नीचे उप पैरा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुये, प्राधिकारी अपने समक्ष कार्य का निपटान परिपत्र द्वारा या अधिवेशन बुलाकर, कर सकेगा तथापि प्राधिकरण का कोई सदस्य यह अपेक्षा कर सकता है कि अमुक कार्य का निपटान परिपत्र द्वारा न करके अधिवेशन में किया जाए।

(2) प्राधिकरण निम्नलिखित विषयों पर अपना विनिश्चय किसी अधिवेशन में, जिसमें अध्यक्ष और पक्षकार राज्यों के सदस्य उपस्थित हों, संकल्प द्वारा अभिलिखित करेगा :—

(i) कारबार संबंधी नियमों की रचना ;

(ii) प्राधिकरण के किसी सदस्य या सचिव अथवा किसी पदाधिकारी को कृत्यों का प्रत्यायोजन ;

(iii) प्राधिकरण के कारबार के किसी भाग का औपचारिक या नेमी प्रकृति के कारबार के रूप में वर्गीकरण ;

(iv) कोई अन्य ऐसा विषय जिसके विनिश्चय की बाबत चार पक्षकार राज्यों में से कोई यह अपेक्षा करे कि वह किसी ऐसे अधिवेशन में किया जाये जिसमें पक्षकार राज्यों के सभी सदस्य उपस्थित हों।

किन्तु यदि किसी विशिष्ट मद का दो क्रमवर्ती बैठकों में पक्षकार-राज्यों में से किसी एक या अधिक सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण निपटारा नहीं किया जा सकता है, तो उसका निपटारा उप पैरा (1) यथा उपबंधित के अनुसार किया जाएगा।

(3) पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुये, प्राधिकरण अपने कारबार के संचालन के लिये अपने नियम बनाएगा।

(4) प्राधिकरण, अपनी समस्त कार्यवाहियों का समुचित कार्यवृत्त या अभिलेख स्थायी अभिलेख के रूप में रखाएगा।

6. सदस्यों का परित्राण :—निम्नलिखित से उत्पन्न हानि, क्षति या नुकसान के लिये प्राधिकरण का कोई भी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होगा, अर्थात् :—

(क) ऐसे सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी द्वारा सद्भावपूर्वक और बिना विधि के स्पष्ट आदेश के प्राधिकार के अधीन की गई कोई कार्यवाई, भले ही बाद में ऐसी कार्यवाई को अप्राधिकृत अवधारित कर दिया जाए, या

(ख) प्राधिकरण द्वारा नियोजित और ऐसे सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के अधीन सेवारत किसी अन्य व्यक्ति का उपेक्षापूर्ण या दोषपूर्ण कार्य या लोप, किन्तु यह तब जब कि ऐसा सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी, ऐसे अन्य व्यक्ति की नियुक्ति में या उसके कार्य के पर्यवेक्षण में सम्यक् सावधानी बरतने में असफल न रहा हो।

7. प्राधिकरण के अधिकारी और सेवक :—प्राधिकरण समय-समय पर ऐसे और उतने अधिकारियों और सेवकों को नियुक्त कर सकता है, जो वह ठीक समझे और उन्हें उन नियमों और विनियमों के अधीन सेवा से हटा सकता है या पदच्युत कर सकता है जो केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों या सेवकों की नियुक्ति, हटाए जाने या पदच्युत किये जाने के संबंध में लागू होते हैं। ऐसे सभी अधिकारी और सेवक एकमात्र प्राधिकरण के नियंत्रण में होंगे। वेतनमान और सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू होती हैं।

उक्त चारों राज्यों की सेवा में नियोजित व्यक्ति की नियुक्ति या नियोजन प्राधिकरण उस अनुपात में कर सकेगा जो वह ठीक समझे। प्राधिकरण राज्य सरकारों से ऐसी व्यवस्था करेगा कि वे राज्य सरकारों में नियोजित व्यक्तियों को प्राधिकरण के पूर्णकालिक नियोजन के लिये या प्राधिकरण के लिये किसी कार्य या सेवा को पूर्ण करने के लिये उपलब्ध करें। प्राधिकरण किसी भी व्यक्ति की सीधी भर्ती भी कर सकेगा या केन्द्र से अथवा किसी अन्य स्रोत से, जो भी वह उपयुक्त समझे, ऐसा व्यक्ति अभिप्राप्त कर सकेगा।

8. प्रशासनिक और फील्ड संगठन खर्च :—(1) प्राधिकरण का समस्त व्यय (जिसके अंतर्गत स्वतंत्र सदस्यों के वेतन और व्यय भी हैं) मध्य

प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य समान अंशों में वहन करेंगे। किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य से संबंधित व्यय, संबद्ध राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। प्रत्येक राज्य में गेजों और अन्य जलीय स्थानों के अनुरक्षण प्रचालन और नियंत्रण का खर्च और आंकड़े संसूचित करने के लिये दूर संचार का खर्च संबद्ध सरकार वहन करेगी।

(2) उन संकर्मों को छोड़कर जिनकी लागत दो या अधिक पक्षकार-राज्यों के बीच बांटने का प्राधिकरण ने निदेश किया है, भंडारगृहों, शक्ति सम्यानों, मोड़ संकर्मों, शीर्ष संकर्मों और नहरों के सन्निर्माण तथा अनुरक्षण का खर्च पूर्णत: उस राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा जिसके क्षेत्र में संकर्म स्थित है जहां इस प्रकार पूंजी लागत बांटी जाती है, वहां प्रचालन और अनुरक्षण लागत भी उसी अनुपात में बांटी जाएगी।

9. प्राधिकरण की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य :—(1) प्राधिकरण का मुख्य कार्य समन्वय और निदेशन करना है। सामान्यत: सभी द्विपक्षीय विषयों का निपटारा संबद्ध राज्यों द्वारा मिलकर करना चाहिए और प्राधिकरण को तभी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, जब कोई विवाद हो।

(2) प्राधिकरण की यह शक्ति और कर्तव्य होगा कि वह ऐसा कोई या सभी कार्य करे जो निम्नलिखित की बाबत आदेशों को लागू करने के संबंध में आवश्यक, पर्याप्त और समीचीन है, अर्थात् :—

(i) नर्मदा जल का भंडारण, बंटवारा, विनियमन और नियंत्रण ;

(ii) सरदार सरोवर परियोजना से प्राप्त शक्ति का बंटवारा;

(iii) मध्य प्रदेश द्वारा जल का नियमित रूप में छोड़ा जाना;

(iv) संबद्ध राज्य सरदार सरोवर के अधीन जलमग्न होने वाली भूमि और सम्पत्तियों का सरदार सरोवर परियोजना के लिए अर्जन;

(v) निष्कासित व्यक्तियों को प्रतिकर, उनका पुनर्वास तथा व्यवस्थापन; और

(vi) खर्च का बंटवारा।

(3) विशिष्टतया और पूर्वगामी कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण, अन्य यों के साथ-साथ, निम्नलिखित कृत्य भी करेगा :—

(i) यथास्थिति, मध्य प्रदेश या गुजरात, प्राधिकरण को, सरदार सरोवर परियोजना रिपोर्ट, नर्मदा सागर परियोजना रिपोर्ट, ओंकारेश्वर परियोजना रिपोर्ट और महेश्वर परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। प्राधिकरण संबद्ध राज्यों, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और योजना आयोग को इन परियोजनाओं की ऐसी कोई विशिष्टता बताएगा जो प्राधिकरण के आदेशों के क्रियान्वयन के प्रतिकूल है। कोई पश्चात्वर्ती परिवर्तन या बाध, विद्युत गृहों और नहर शीर्ष संकर्मों की प्रमुख विशेषताओं या लागत में महत्वपूर्ण वृद्धि प्राधिकरण को सूचित की जाएगी जिससे कि प्राधिकरण उस संबंध में समुचित कार्यवाई कर सके।

(ii) प्राधिकरण निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, नर्मदेश्वर और सरदार सरोवर परियोजना का, इस उद्देश्य से चरण-क्रम विनिश्चित करेगा और उनके सन्निर्माण कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करेगा जिससे कि परियोजनाओं के सन्निर्माण कार्य के पूर्ण होने के दौरान और उसके पश्चात्, समीचीन रूप से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके।

(iii) प्राधिकरण, संबद्ध राज्यों से, कार्य और व्यय दोनों की बाबत कालिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करेगा और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, परियोजना के विभिन्न एककों के सन्निर्माण की प्रगति का पुनर्विलोकन करेगा और जब भी आवश्यक हो, संबद्ध राज्य को, एकक–I बांध और अनुलग्न संकर्मों तथा एकक III—सरदार सरोवर परियोजना विद्युत काम्पलेक्स को छोड़कर, ऐसे उपाय करने की सलाह देगा जिससे कि कार्य को शीघ्र पूरा किया जा सके। राज्य परियोजनाओं के संबंध में, उप-पैरा (3)(i) के अनुसार प्राधिकरण को कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(iv) प्राधिकरण जब भी आवश्यक हो, संबद्ध राज्यों को समुचित निदेश देगा कि वे, गुजरात राज्य के लिये सरदार सरोवर परियोजना में जलमग्न होने वाली भूमि और सम्पत्ति अर्जित करने और तत्पश्चात् वे गुजरात राज्य को उपलब्ध कराने और तदधीन निष्कासित व्यक्तियों के लिए प्रतिकर और पुनर्वास के संबंध में न्यायाधिकरण के आदेश का समय से और पूर्णत: अनुपालन करें।

(v) प्राधिकरण, संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक से, जहां आवश्यक हो, स्वचालित अभिलिखित्रों से सुसज्जित ऐसे प्रवाह और अन्य गेज स्टेशन निकास, गाद और वाष्पीकरण संप्रेक्षण स्टेशनों और आदेशों के उपबंधों को पूरा करने के लिए अपेक्षित अभिलेख रखने के लिए समय-समय पर यथा आवश्यक मापयुक्तियों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रचालन करवाएगा। यदि आवश्यक समझा जाए तो संबद्ध राज्य से मुख्य नहरों के छोर पर और नर्मदा नदी तंत्र से राजस्थान के लिए प्रवाहित जल की मात्रा के मापने के लिए नहर के उप-निकास पर अनुमोदित किस्म की माप युक्तियों की स्थापना अनुरक्षण और प्रचालन कराएगा।

(vi) नर्मदा के बहाव का उन सभी स्टेशनों पर, जहां प्राधिकरण आवश्यक समझे, समवर्ती अभिलेख रखा जाएगा और ऐसे अभिलेखों को सहसंबद्ध किया जाएगा।

(vii) प्राधिकरण, अधिकरण के आदेश के खण्ड 9 में दिए गए मार्गदर्शन के आधार पर जल के लेखा संबंधी नियम या विनियम बनाएगा। वह जल के विनियमन और लेखा के प्रयोजन के लिए दस दिन की अवधि के लिए प्रत्येक राज्य के जल का हिस्सा अवधारित करेगा।

(viii) प्राधिकरण, निम्नलिखित की बाबत अधिकरण के आदेशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा, अर्थात् :—

(क) मध्य प्रदेश द्वारा नियमित रूप में छोड़े जाने वाले जल की मात्रा और स्वरूप;

(ख) ऐसे नियमित जल प्रदाय के लिए संदाय/लागत का बंटवारा।

(ix) प्राधिकरण, संबद्ध राज्य से प्रत्येक मौसम में नर्मदा से सिंचित क्षेत्रों को, नर्मदासागर पर और उसके अधोमुखी जल विद्युत शक्ति स्टेशनों में से प्रत्येक द्वारा उत्पादित शक्ति, घरेलू, नागरीयता और औद्योगिक या इनमें से किसी प्रयोजन के लिए खपत और सरदार सरोवर परियोजना से आगे नदी में जाने वाले जल के आंकड़े एकत्र करेगा।

(x) प्राधिकरण, नर्मदा और उसकी सहायक नदियों में किसी जल-वर्ष (1 जुलाई से अगले वर्ष के 30 जून तक) में बहने वाले पानी की मात्रा अवधारित करेगा।

(xi) प्राधिकरण समय-समय पर प्रत्येक राज्य द्वारा अपने जलाशयों और अन्य भण्डारों में भंडारित पानी की मात्रा अवधारित करेगा और उस प्रयोजन के लिए कोई भी युक्ति या पद्धति अपना सकेगा।

(xii) प्राधिकरण, राज्यों द्वारा यथाआवश्यक उनमें से कुछ के द्वारा किसी भी स्थान पर या किसी भी क्षेत्र में तथा किसी भी

समय नर्मदा नदी के जल के उपयोग को, समुचित कालिक अन्तरालों पर अवधारित करेगा और इस प्रयोजन के लिए नर्मदा नदी में से या उसकी सहायक नदियों में से सभी विपथनों या रुकावटों को, चाहे वे प्राकृतिक हों या कृत्रिम या भागतः प्राकृतिक हों और भागतः कृत्रिम, ध्यान में लेगा और ऐसे उपयोग को ऐसी पद्धति से नापेगा, जो वह ठीक समझे ।

(xiii) प्राधिकरण या सम्यक रूप से प्राधिकृत उसके किसी प्रतिनिधि को, ऐसी किसी भूमि या सम्पत्ति पर प्रवेश करने की शक्ति होगी जिस पर नर्मदा जल के प्रयोग के लिए किसी राज्य द्वारा किसी परियोजना या किसी परियोजना का विकास कार्य या गेजिंग, वाष्पन या जलीय स्टेशन के किसी कार्य का या मापक युक्ति का सन्निर्माण किया गया है, या किया जा रहा है । प्रत्येक राज्य अपने समुचित विभागों द्वारा, प्राधिकरण को और इस निमित्त उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को पूर्ण सहयोग और सहायता देगा ।

(xiv) प्राधिकरण यथावश्यक रूप में, अधिवेशन करता रहेगा और उनमें उचित जल व्यवस्था की बाबत विनिश्चय करेगा । इसके अंतर्गत, विशिष्टतः आदेशों के अनुसार नर्मदा नदी प्रणाली के जलाशयों से जल की निकासी की रीति और ब्यौरे भी हैं । विशिष्टतः प्राधिकरण पानी भरण मौसम के अन्त में अधिवेशन करेगा और नर्मदा नदी प्रणाली के जलाशयों में जल की उपलभ्यता का पुनर्विलोकन करेगा और पिछले भण्डार को ध्यान में रखते हुए, अगले सिंचाई मौसम के लिए उनके विनियमन के तरीके की बाबत विनिश्चय करेगा ।

(xv) प्राधिकरण, सरदार सरोवर से तीन राज्यों, अर्थात् मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को आबंटित शक्ति के अंशों की पूर्ति में शक्ति के उत्पादन और पारेषण के लिए सन्निर्माण के चरणबद्ध कार्यक्रम के लिए तथा उसके लिए संदायों के लिए अधिकरण के आदेशों के अनुसार निदेश देगा । प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि सरदार सरोवर काम्पलेक्स में शक्ति का उत्पादन और पारेषण आदेशों के अनुसार हो रहा है ।

(xvi) प्राधिकरण, बाढ़ संबंधी पूर्वानुमान और बाढ़ नियंत्रण, जिसके अंतर्गत गंभीर अवक्षेपण और दूरसंचार पद्धतियां भी हैं, संबंधी कारगर स्थापन, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए समुचित निदेश जारी करेगा । किसी संरचना की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संरचना के भारसाधक मुख्य इंजीनियर पर होगा और उस पर ऐसा कोई विनिश्चय या आदेश आबद्धकर नहीं होगा जिससे उसकी राय में, ऐसी संरचना की सुरक्षा को खतरा हो सकता है । प्राधिकरण बाढ़ों के दौरान जलाशयों के प्रचालन के बारे में प्रतिवर्ष आंकड़े प्रकाशित करेगा और वे पक्षकार राज्यों को उपलब्ध कराएगा ।

(4) प्राधिकरण, अपने अनुभव के आधार पर, एक संकल्प द्वारा उपरोक्त उप पैरा (3)(i) में उप पैरा-3, (xvi) में प्रगणित कृत्यों में परिवर्तन या वृद्धि कर सकेगा ।

(5) सभी संबद्ध राज्य, प्राधिकरण को नर्मदा घाटी विकास से संबंधित और प्राधिकरण द्वारा मांगी जाने वाली सभी सुसंगत जानकारी, शीघ्र और युक्तियुक्त समय के भीतर प्रस्तुत करेंगे ।

10 **प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट.**—प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार और पक्षकार राज्यों में से प्रत्येक को, यथासंभव शीघ्र और किसी भी दशा में वर्तमान जल वर्ष (1 जुलाई से 30 जून तक) की समाप्ति से पूर्व, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करा कर भेजेगा जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष में प्राधिकरण द्वारा किए गए क्रियाकलाप का उल्लेख होगा और केन्द्रीय सरकार प्रत्येक पक्षकार राज्य को, किसी भी समय उसकी प्रार्थना पर, ऐसी कोई जानकारी, जो उसके पास है, उपलब्ध कराएगा और अपने अभिलेखों तक केन्द्रीय सरकार और पक्षकार राज्यों और उनके प्रतिनिधियों की पहुंच होने देगा । केन्द्रीय सरकार वार्षिक रिपोर्ट दोनों सदन के दोनों पटलों पर रखवाएगी ।

11 **प्राधिकरण का अभिलेख और उसका स्थान.**— प्राधिकरण सभी अधिवेशनों और कार्यवाहियों का अभिलेख रखेगा, नियमित लेखा रखेगा, और उसका एक ऐसा उपयुक्त कार्यालय होगा जहां दस्तावेज, अभिलेख लेखा और गैजिंग आंकड़े केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक पक्षकार राज्य या उनके प्रतिनिधियों द्वारा ऐसे समयों पर और ऐसे विनियमों के अधीन जैसे प्राधिकरण अवधारित करे, निरीक्षण के लिए खुले रहें ।

नर्मदा नियंत्रण, प्राधिकरण के केन्द्रीय, प्रादेशिक और उप-प्रादेशिक कार्यालयों का स्थान प्राधिकरण अवधारित करेगा । प्राधिकरण के मुख्यालय, जब तक वह स्थायी अवस्थान का विनिश्चय नहीं कर लेता, नई दिल्ली में होंगे ।

12. **संविदाएं और करार.**—प्राधिकरण ऐसी संविदाएं और करार करेगा जो उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित कृत्यों के पूर्णतः और समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक और अनिवार्य हैं ।

13. **वित्तीय उपबन्ध.**—(1) प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित सभी पूंजीगत और राजस्व व्यय, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य सरकार समान रूप से वहन करेंगे । उक्त राज्यों की सरकारें, प्राधिकरण को उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाली अपेक्षित सभी पूंजीगत और राजस्व व्यय के लिए निधि देंगे । इसके लिए एक निधि, जिसका नाम "नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण निधि" होगा, गठित की जाएगी जिसमें राज्यों द्वारा संदत्त रकम और प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अन्य रकमें जमा की जाएंगी ।

(2) प्राधिकरण के गठन के पश्चात् मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य की सरकार प्रारम्भ में, प्राधिकरण की निधि में, 500,000 रु० (पांच लाख रुपए) का अभिदाय करेगी

(3) प्राधिकरण, प्रत्येक वर्ष सितम्बर मास में, पहली अप्रैल, से प्रारम्भ होने वाले आगामी वर्ष के बारह मास के दौरान अपेक्षित धन राशि के ब्यौरेवार प्राक्कलन तैयार करेगा । इन प्राक्कलनों में वह रीति दर्शित की जाएगी जिसमें ऐसा धन खर्च करने का प्रस्ताव है । प्राधिकरण 15 अक्तूबर को या उससे पूर्व ऐसे ब्यौरेवार प्राक्कलन की एक एक प्रति चारों राज्यों के संबद्ध मुख्य इंजीनियरों को अग्रेषित करेगा और उसमें वह राशि दर्शित करेगा जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा अभिदाय के लिए अपेक्षित है । प्रत्येक राज्य सरकार, प्राधिकरण द्वारा दर्शित रूप में अपने अभिदाय का, प्राधिकरण को संदाय आगामी वर्ष के 30 अप्रैल, को या उससे पूर्व कर देगा ।

(4) प्राधिकरण सभी प्राप्तियों और संवितरणों का ब्यौरा और सही लेखा रखेगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, एक वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा और उसकी प्रतियां संबद्ध महालेखाकारों तथा चारों राज्यों के संबद्ध मुख्य इंजीनियरों को भेजेगा । वार्षिक लेखा विवरण का प्ररूप वैसा होगा जैसा प्राधिकरण द्वारा रचित नियमों द्वारा विहित किया जाए । प्राधिकरण द्वारा रखा गया लेखा केन्द्रीय सरकार और चारों राज्यों के प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों के निरीक्षण के लिए सभी उपयुक्त समयों पर खुला रहेगा ।

(5) प्राधिकरण की निधि से संवितरण केवल ऐसी रीति से ही किए जाएंगे जैसी प्राधिकरण विहित करें । प्राधिकरण अपने कृत्यों के निर्वहन में किसी आपात में ऐसा खर्च कर सकता है, जैसा वह उचित समझे ।

(6) प्राधिकरण द्वारा रखे गए लेखाओं की लेखा परीक्षा, भारत का नियंत्रक-महालेखा परीक्षक या उसका नाम निदेशिती करेगा, जो प्राधिकरण के वार्षिक लेखाओं को ऐसे संप्रेक्षणों के अधीन रहते हुए, जैसे वह

करेगा चाहे, प्रमाणित करेगा। प्राधिकरण भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट की प्रतियां, महालेखाकार और चारों राज्यों के संबद्ध मुख्य इंजीनियरों को भेजेगा तथा उसे अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भी सम्मिलित करेगा।

14. प्राधिकरण का विनिश्चय :— पैरा 9 के अन्तर्गत आने वाले सभी मामलों की बाबत प्राधिकरण के विनिश्चय अंतिम और चारों राज्यों पर आबद्धकर होंगे।

15. प्राधिकरण की अधिकारिता के बाहर सन्निर्माण:— अधिकरण के आदेश में जैसा विहित है, उस सीमा तक और उसके सिवाय, परियोजनाओं की योजना और उनका सन्निर्माण प्रत्येक राज्य सरकार अपने अधिकरणों के माध्यम से करवाएगी।

### 2. पुनर्विलोकन समिति

16. (1) एक पुनर्विलोकन समिति होगी जो स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार राज्य के आवेदन पर प्राधिकरण के किसी विनिश्चय का पुनर्विलोकन करेगी। अन्यावश्यक मामलों में, पुनर्विलोकन समिति का अध्यक्ष पक्षकार राज्य के आवेदन पर, पुनर्विलोकन के संबंध में अन्तिम विनिश्चय होने तक प्राधिकरण के किसी आदेश के निष्पादन को रोक सकता है।

(2) पुनर्विलोकन समिति में, अध्यक्ष सहित, निम्नलिखित पांच सदस्य होंगे:—

| | |
|---|---|
| (1) संघ का सिचाई मंत्री | अध्यक्ष |
| (2) मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश | सदस्य |
| (3) मुख्य मंत्री, गुजरात | सदस्य |
| (4) मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र | सदस्य |
| (5) मुख्य मंत्री, राजस्थान | सदस्य |

भारत सरकार के सिचाई विभाग का सचिव, पुनर्विलोकन समिति का संयोजक होगा किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो उस राज्य का राज्यपाल या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि पुनर्विलोकन समिति के सदस्य के रूप में काम करेगा।

(3) पक्षकार राज्यों के मुख्य मंत्री, अपने-अपने सिचाई मंत्रियों को वैकल्पिक सदस्य के रूप में, या तो साधारणतया या विशेष रूप में नाम निर्दिष्ट कर सकेंगे। ऐसे मंत्रियों को मतदान, विनिश्चय आदि करने की पूर्ण शक्तियां प्राप्त होंगी

(4) पुनर्विलोकन समिति, प्राधिकरण के विनिश्चय का ऐसे किसी अधिवेशन में पुनर्विलोकन कर सकेगी जिसमें अध्यक्ष और पुनर्विलोकन समिति के सभी सदस्य उपस्थित है। पुनर्विलोकन समिति के सभी विनिश्चय सर्वसम्मति से होंगे। सर्वसम्मति से न हो पाने की दशा में, विनिश्चय उन सदस्यों के, जिनमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है, बहुमत से किया जाएगा।

(5) संयोजक, पुनर्विलोकन समिति के प्रस्तावित अधिवेशन की अग्रिम सूचना, उसकी कार्यसूची और कार्यसूची-टिप्पण पक्षकार राज्यों की सरकारों को भेजेगा।

(6) पुनर्विलोकन समिति का विनिश्चय लेखबद्ध किया जाएगा और वह अन्तिम होगा तथा पक्षकार राज्यों पर बाध्यकर होगा।

17. केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस स्कीम के प्रयोजनों को प्रभावी बनाने के लिए विनियम बना सकती है।

[सं० 2/0/79-पी०-1]

सी० सी० पटेल, सचिव

## MINISTRY OF IRRIGATION

### NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 1980

**S.O. 770(E).**—Whereas the Central Government had constituted, by a notification of the Government of India in the Ministry of Irrigation and Power S.O. No. 4054, dated the 6th October, 1969, issued under section 4 of the Inter-State Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956), the Narmada Water Disputes Tribunal to adjudicate upon the Water dispute regarding the inter-State river, Narmada and the river valley thereof;

And whereas the said Tribunal investigated the matters referred to it and forwarded to the Central Government under sub-section (2) of section 5 of the said Act, a report setting out the facts as found by it and giving its decision on the matters referred to it;

And whereas upon consideration of the said decision the Central Government and the Governments of the States of Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan made references to the said Tribunal under sub-section (3) of section 5 of the said Act and the Tribunal, on such references, forwarded to the Central Government under that subsection a further report;

And whereas the decision of the said Tribunal as modified by the explanation and guidance given in its further report was published in the official Gazette by the Central Government as required by section 6 of the said Act, vide notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Irrigation) No. S.O. 792(E), dated the 12th December, 1979, whereupon the decision became final and binding on the parties to the dispute;

And whereas the decision of the said Tribunal provides for the setting up of the machinery, namely, Narmada Control Authority and a Review Committee for implementing its decisions and directions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6-A of the said Act, the Central Government hereby frames the scheme, inter alia, constituting the Narmada Control Authority (hereinafter referred as the Authority) and the Review Committee to give effect to the decision of the Narmada Water Disputes Tribunal, namely :—

1. Short Title.—This Scheme may be called the Narmada Water Scheme.

I. Narmada Control Authority

2. Status and constitution of the Authority.—(1) The Narmada Control Authority shall be a body corporate having perpetual succesion and a common seal and shall sue and be sued.

(2) The Authority shall consist of seven high ranking Engineer Members, of whom one each shall be of the rank of Engineer-in-Chief, Chief Engineer, or Additional Chief Engineer of the Irrigation Department, Power Department or the State Electricity Board appointed by the Government of each of the States of Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Rajasthan and three other eminent Engineers of a rank not less than that of a Chief Engineer to be appointed by the Central Government in consultation with the party States. One of the three independent Members shall be nominated by the Central Government as the Chairman of the Authority with a deliberative vote at meetings where decisions are taken on any matter affecting the interest of more than one State and he will be in charge of the administrative work of the Authority. The Central or State Government, as the case may be, shall have the power to remove or suspend from the Authority any Member who, in its opinion, is not suitable to continue as Member.

(3) Each Independent Member shall be a full-time Member and he appointed for a term not exceeding five years. The Members appointed by the State Governments shall be part-time Members. The appointing authority for Independent Member or that for part-time Member, as the case may be, shall determine the terms and conditions of appointment in each case.

(4) On any vacancy occurring in the offices of the three independent Members, the Central Government shall appoint a person to such vacant office, and on any vacancy occurring in the office of the four Members other than the independent Members, the State Government by whom the Member whose office falls vacant was appointed shall appoint a person to the vacant office :—

Provided that in case of illness or absence for any cause whatever of a Member, the Central Government or State Government by whom he was appointed, as the case may be may appoint a person as an acting Member during such illness or absence and such acting Member shall, while so acting, have all the powers and perform all the duties and be entitled to the indemnities of the Member, in whose stead he so acts, save and except that the next senior Independent Member appointed by the Central Government and not the acting Member shall act as Chairman at business meeting of the Authority or as the Chairman of the Authority in the event of illness or absence of the Chairman of the Authority.

3. Secretary of the Authority.—The Authority shall employ a Secretary, who shall be an Engineer. He shall not be a Member of the Authority.

4. Quorum and Voting.—Five Members shall be a quorum and the concurrence of the majority shall be necessary for the transaction of the business of the Authority except such business as the Authority may from time to time prescribe as routine. The Authority shall not prescribe as routine any business in which the interests of any two of the States are likely to be in conflict. For the transaction of routine business three Members shall be a quorum and in the absence of the Chairman of the Authority, the Chairman elected at the meeting shall have a deliberative vote and in the event of an equality of votes a casting vote also.

Subject as aforesaid the Members shall have equal powers.

5. Disposal of Business By The Authority.—(1) Subject to the provisions of Sub-para-graph (2), the Authority may dispose of any matter before it either by circulation or by holding a meeting. However, it will be open to any Member of the Authority to require that a matter shall not be disposed of by circulation but at a meeting.

(2) On the following matters the Authority shall record its decision by a Resolution at a meeting in which the Chairman and all the Members from the party States are present :—

(i) Framing of Rules of Business;

(ii) Delegation of functions to a Member or Secretary or any official of the Authority;

(iii) Categorising any part of the business of the Authority as of a formal or routine nature;

(iv) Any other matter which any of the four party States require that it shall be decided at a meeting where all the members from the party States are present;

Provided that, if any particular item cannot be disposed of at two successive meetings owing to the absence of one or more Members from the Party States, it shall be disposed of as provided in sub-Paragraph (3).

(3) Subject to the foregoing provisions, the Authority shall frame its own rules for the conduct of its business.

(4) The Authority shall cause proper minutes or records of all its proceedings to be kept as a permanent record.

6. Indemnity of Members.—No Member, officer or employee of the Authority shall be liable for loss, injury or damages resulting from (a) action taken by such Member, officer or employee in good faith and without malice under the apparent authority of the orders, even though such action is later determined to be unauthorised, or (b) the negligent or wrongful act of omission of any other person, employed by the Authority and serving under such Member, officer or employee unless such Member, officer or employee failed to exercise due care in the appointment of such other person or the supervision of his work.

7. Officers And Servants of the Authority.—The Authority may from time to time appoint or employ such and so many officers and employees as it thinks fit and remove or dismiss them, under the rules and regulations applicable to the appointment, removal and dismissal of the Central Government officers and employees. All such officers and employees shall be subject to the sole control of the Authority. The scales of pay and other service conditions shall be as applicable to Central Government employees.

Persons employed in the services of the four States may be appointed or employed by the Authority in such proportions as the Authority may deem fit. The Authority shall arrange with the State Governments to spare the services of the persons employed in the State Governments for whole-time employment with the Authority, or for the performance of any work or services for the Authority. The Authority may also make direct recruitment of any personnel or obtain the same from the Centre or other source as considered appropriate.

8. Administrative & Field Organisation Costs.—(1) All expenses of the Authority (including the salary and expenses of the independent Members) shall be borne by the State Governments of Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Rajasthan in equal shares. The expenses pertaining to a Member representing a State shall be borne by the State concerned. The cost of maintaining, operating and controlling the gauging and other hydrological stations in each State and the telecommunication systems for communicating the data shall be borne by the State concerned.

(2) The costs of construction of the storages, power installations, diversion works, headworks and canal networks shall be borne wholly by the State Government in whose territory the work is located except for works whose cost has been ordered by the Tribunal to be shared between two or more party States. Where the capital cost is thus shared, the operation and maintenance cost shall also be shared in the same proportion.

9. Powers, Functions & Duties of the Authority.—(1) The role of the Authority will mainly comprise coordination and direction. Normally all bilateral matters would be dealt with mutually by the States concerned and referred to the Authority only if there is a dispute.

(2) The Authority shall be charged with the power and shall be under a duty to do any or all things necessary, sufficient and expedient for the implementation of the Order of the Tribunal with respect to :—

(i) the storage, apportionment, regulation and control of the Narmada Waters;

(ii) sharing of power benefits from Sardar Sarovar project;

(iii) regulated releases by Madhya Pradesh;

(iv) acquisition by the concerned State for Sardar Sarovar project of lands and properties likely to be submerged under Sardar Sarovar;

(v) compensation and rehabilitation and settlement of oustees; and

(vi) sharing of costs.

(3) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing functions, the Authority shall perform, inter-alia, the following functions :—

(i) Madhya Pradesh or Gujarat, as the case may be, shall submit to the Authority the Sardar Sarovar Project Report, the Narmadasagar Project Report, the Omkareshwar Project Report, and the Maheshwar Project Report. The Authority shall point out to the States concerned, the Central Water Commission, the Central Electricity Authority and Planning Commission any features of these projects which may conflict with the implementation of the Orders of the Tribunal. Any subsequent changes in the salient features or substantial increase in cost in respect of dams, power houses and canal headworks shall be reported to the Authority for taking appropriate action in the matter.

(ii) The Authority shall decide the phasing and shall co-ordinate construction programmes of the Narmadasagar project and Sardar Sarovar Unit II-Canals with a view to obtaining expeditiously optimum benefits during and after the completion of the construction of the projects, having due regard to the availability of funds.

(iii) The Authority shall obtain from the concerned States periodical progress reports both as to works and expenditure, and shall on receipt of such reports review the progress of construction of different units of the projects and wherever necessary advice the State concerned on the steps to be taken to expedite the work, except in respect of Unit-I-dam and Appurtenant Works and Unit III-Power Complex of Sardar Sarovar Project. The States shall submit completion reports to the Authority in respect of projects referred to in sub-paragraph (3) (i).

(iv) The Authority shall issue appropriate directions whenever necessary for timely and full compliance by the concerned States within the Orders of the Tribunal in the matter of acquisition for and making available to Gujarat lands and properties likely to be submerged under the Sardar Sarovar Project and in the matter of compensation and rehabilitation of oustees thereunder.

(v) The Authority shall cause to be established, maintained, and operated by the State Governments concerned or any one or more of them, such stream and other gauging stations, equipped with automatic recorders where necessary, discharge, silt and evaporation observation stations and measuring devices and as may be necessary from time to time for securing the records required for carrying out the provisions of the Orders of the Tribunal. If deemed necessary, the Authority may require the installation, maintenance and operation by the States concerned of measuring devices of approved type at the head of main canals as also at the offtake of the canal for Rajasthan for measuring amount of water diverted from Narmada river system.

(vi) Concurrent records shall be kept of the flow of the Narmada at all Stations considered necessary by the Authority and the records correlated.

(vii) The Authority shall frame rules of regulation and water accounting as per guidelines given in Clause, IX of the order of the Tribunal. It shall determine the share of water of each State for every ten-day period for purposes of regulation and water accounting.

(viii) The Authority shall ensure implementation of the orders of the Tribunal in respect of (a) quantum and pattern of regulated releases by Madhya Pradesh; (b) Payment for such regulated releases and sharing of costs.

(ix) The Authority shall collect from the State concerned data of the areas irrigated by Narmada waters in each season, of power generated at each hydro-electric power station at and downstream of Narmadasagar, of withdrawals for domestic, municipal and industrial or any other purposes and of waters going down the river from Sardar Sarovar Project.

(x) The Authority shall determine the volume of water flowing in the river Narmada and its tributaries in a water year (1st July of a year to the 30th June of the next year).

(xi) The Authority shall determine from time to time the volume of water stored by each State in reservoirs and other storages and may for that purpose adopt any device or method

(xii) The Authority shall determine at appropriate periodic intervals the use of Narmada waters made by the States, or such of them as necessary, at any place or in any areas at any time and for that purpose it may take note of all diversions or obstructions, whether natural or artifical or partly natural and partly artificial, from the river Narmada and its Tributaries and measure such use by any method as it deems fit.

(xiii) The Authority or any of its duly authorised representative shall have power to enter upon any land and property upon which any project or development of any project, or any work of gauging evaporation or other hydrological station or measuring device has been or is being constructed, operated or maintained by any State or the use of Narmada water. Each State through its appropriate departments shall render all co-operation and assistance to the Authority and its authorised representatives in this behalf.

(xiv) The Authority shall meet as often as necessary and decide on a proper management of waters including in particular the manner and details of withdrawals of waters from the storages on the Narmada river system in accordance with the Orders of the Tribunal. In particular, the Authority shall meet at the end of filling season, and review the availability of waters in the storages on the Narmada river system and decide upon the pattern of their regulation for the next irrigation season, taking into account the carry over storages.

(xv) The Authority shall give directions for a phased programme of construction for generation and transmission of power in fulfilment of the shares of power allocated to the three States of Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat from Sardar Sarovar and for payments therefor in accordance with the Orders of the Tribunal. The Authority shall also ensure that generation and transmission of power from Sardar Sarovar complex are in accordance with the Orders.

(xvi) The Authority shall issue appropriate directions for the establishment, maintenance and operation of and effective system of flood forecasting and flood control, including reporting of heavy precipitation, and telecommunication systems. The safety of a structure shall primarily be the responsibility of the Chief Engineer incharge of the structure and no decision or order shall be binding on him if in his opinion the safety of the structure will be endangered thereby. The Authority shall publish annually and make available to party states the data regarding operation of reservoirs during floods.

(4) In the light of its experience, the Authority may modify or add to the functions enumerated in Sub-paragraph (3) (i) to sub-paragraph 3 (xvi) by a resolution.

(5) All the concerned States shall submit to the Authority all the relevant information called for by the Authority in connection with the Narmada Valley Development expeditiously.

10. Annual Report of the Authority.—The Authority shall prepare and transmit as early as possible and in any case before the end of the current Water Year (1st July of the year to the 30th June of the next year) an Annual Report covering the activities of the Authority for the preceding year and to make available to the Central Government and to the Government of each of the Party States, on its request any information within its possession any time and always provide access to its records to the Central Government and to the Government of each of the Party States and their representatives. The Central Government shall cause the Annual Report to be laid before each House of the Parliament

11. Records of the Authority and their Location.—The Authority shall keep a record of all meetings and proceedings, maintain regular accounts, and have a suitable office where documents, records, accounts and gauging data shall be kept open for inspection by the Central Government and Government of each of the Party States or their representatives at such times and under such regulations as the Authority may determine.

The location of the Central, Regional and Sub-regional offices of the Narmada Control Authority shall be determined

by the Authority. The headquarters of the Authority shall be at New Delhi till such time as it decides on its permanent location.

12. Contracts and Agreements.—The Authority shall enter into such contracts and agreements as may be necessary and essential for the full and proper performance of the functions and duties conferred or imposed on it.

13. Financial Provisions.—(1) All the Capital and revenue expenditure required to be incurred by the Authority shall be borne by the State Governments of Madhya Pradesh, Gujart, Maharashtra and Rajasthan equally. The Governments of the said States shall provide the necessary funds to the Authority to meet all capital and revenue expenditure required to be incurred by the Authority for the discharge of its functions. For this a fund to be called The Narmada Controal Authority Fund shall be constituted to which the sums paid by the States and other sums received by the Authority shall be credited.

(2) On the constitution of the Authority, the Governments of the States of Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Rajasthan shall contribute each a sum of Rs. 5,00,000 (Rupees five lakhs) to the fund of the Authority in the first instance.

(3) The Authority shall in the month of September of each year prepare detailed estimate of the accounts of money required during the twelve months from the first day of April of the ensuring year, showing the manner in which it is proposed to expend such money. The Authority shall on or before the fifteenth of October forward a copy of such detailed estimate to the concerned Chief Engineers of the four States and indicate the amount required to be contributed by each State for the ensuing financial year. Each of the State Governments shall pay to the Authority its contribution as indicated by the Authority on or before the 30th day of April of the ensuring year.

(4) The Authority shall maintain detailed and accurate accounts of all receipts and disbursements and shall after the close of each financial year, prepare an annual Statement of Accounts and send copies thereof to the Accountants General as well as the concerned Chief Engineers of the four States. The form of the Annual Statements of Accounts shall be such as may be prescribed by rules framed by the Authority. The Accounts maintained by the Authority shall be open for inspection at all reasonable times by the Central Government and the Governments of the Party States through their duly authorised representative or representatives.

(5) Disbursement shall be made from the fund of the Authority only in such manner as may be prescribed by the Authority. The Authority may incur such expenditure as it may think fit to meet any emergency in the discharge of its functions.

(6) The accounts maintained by the Authority shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India or his nominee, who shall certify subject to such observations as he may wish to make on the annual accounts of the Authority. The Authority shall forward to the Accountants General and the concerned Chief Engineers of the four States copies of the Report of the Comptroller and Auditor General of India and shall include the same in its Annual Report.

14. Decisions of the Authority.—The decisions of the Authority on all matter covered under paragraph 9 shall be final and binding on all the party States.

15. Construction of outside Jurisdiction of the Authority.—Save and except to the extent otherwise prescribed in the Order of the Tribunal, the Planning and construction of the projects will be carried out by each State Government through its own agencies.

II. Review Committee

16. (1) There shall be Review Committee which may, suo moto or on the application of any party State review any decision of the Authority. In urgent cases the Chairman of the Review Committee may on the application of the Government of any party State grant stay of any order of the Authority pending final decision on review.

(2) The Review Committee shall consist of five members including a Chairman as under :—

| | |
|---|---|
| (i) Union Minister in charge of Irrigation | Chairman |
| (ii) Chief Minister of Madhya Pradesh | Member |
| (iii) Chief Minister of Gujarat | Member |
| (iv) Chief Minister of Maharashtra | Member |
| (v) Chief Minister of Rajashthan | Member |

The Secretary to the Government of India, Ministry of Irrigation shall be the Convenor of the Review Committee but shall not have any voting right. In case there is President's rule in any of the four Party States, the Governor of that State or his authorised representative will act as Member of the Review Committee.

(3) The Chief Ministers of the Party States may nominate their respective Ministers incharge of Irrigation either generally or specially as the alternate Member with full powers of voting, taking decisions etc.

(4) The Review Committee may review the decision of the Authority at a meeting at which the Chairman and all the Members of the Review Committee are present. The decisions of the Review Committee will be by consensus. In cases where no consensus is possible, the decisions shall be by majority of votes of Members including the Chairman.

(5) Advance notice of the proposed meeting of the Review Committee, its agenda and agenda notes will be forwarded by the Convenor to the Governments of the party States.

(6) The decision of the Review Committee shall be recorded in writing and shall be final and binding on all the States.

17. The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make regulations for giving effect to the purposes of the Scheme.

[No. 2/6/79-P. I]

G. C. PATEL, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980